TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 16TH MARCH, 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

*****

New Delhi the 16th March, 1998

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.973(E) dated the 14th December, 1995 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, Running of free medical aid services at NOIDA of Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-19, NOIDA-201301 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-97;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the approved cost to rupees seventy five lakhs only;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Running of free medical aid services at NOIDA of Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-19, NOIDA-201301, at the estimated cost of rupees seventy five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999-2000.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10550
F.No. NC-9/98

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड§ii§ में दिनांक 16 मार्च, 1998 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1998

अधिसूचना

सा॰ आ० ———§अ०§ आयकर अधिनियम 1961, §1961 का 43§ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड§ख§ के साथ पठित उपधारा§1§ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० सा० आ० 973§अ.§ के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं० 13 पर कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट, सी० 320, सेक्टर-19, नोएडा-201300 की नोएडा में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं चलाने को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

और जबकि इस परियोजना के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ।

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम§5§ के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की और अनुमानित लगात को केवल पचहत्तर लाख रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की है ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961§1961 का 43§ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड§ख§ के साथ पठित उपधारा§1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केवल पचहत्तर लाख रुपए की अनुमानित लागत पर कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट, सी० 320, सेक्टर-19, नोएडा-201300 की नोएडा में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं चलाने को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से, तीन निर्धारण